प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.11.2024

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्ज़े से 02 किलो 190 ग्राम गांजा अवैध गांजा बरामद

घटना एवं कार्यवाही का विवरण- दिनांक 26.11.2024 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन/ व्यक्ति चेकिंग के दौरान रहीसपुर एनडीआरएफ चौक के पास से 01 अभियुक्त मोमराज उर्फ मोनू पुत्र सुखबीर नि0- पशु अस्पताल के पास ग्राम रहीशपुर थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्ज़े से 02 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण – गिरफ्तार किये हुए अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि साहब मैं यह गाँजा दिल्ली से ख़रीद कर लाता हूँ उसके बाद गाँजे की प्लास्टिक की छोटी-छोटी पन्नियों में पुडिया बनाकर पर कालेज तथा विद्यालयों के आस पास जाकर युवा पीढी तथा किशोर अवस्था के छात्रों तथा लोगों को महँगे दामों में बेच देता हूँ इससे मुझे मोटा मुनाफा होता है प्राप्त धन से मैं अपने महँगे शोक व ख़र्चों की पूर्ति करता हूँ हर बार की भाँति इस बार भी में कालेज तथा विद्यालयों के आस-पास ये पुडिया बेचने जा रहा था।

नाम पता अभियुक्त –

मोमराज उर्फ मोनू पुत्र सुखबीर नि0- पशु अस्पताल के पास ग्राम रहीशपुर थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मोमराज उर्फ मोनू के विरुद्ध 01 अभियोग आयुध अधिनियम थाना कविनगर पर ,01 अभियोग उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम थाना कविनगर पर , 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट थाना मधुबन बापूधाम पर , कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

02 किलो 190 ग्राम गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीम

पुलिस टीम थाना मधुबन बापूधाम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा लूट करने वाले, महिला सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से लूटी गयी सोने की चेन, अन्य लूट के 3200/- रुपये व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद ।

दिनांक 15.11.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र अजनारा मार्किट के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक महिला की सोने की चेन छीन ली गयी थी, वादिया की लिखित सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व लूटी गयी चेन की बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया । पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल के आस पास सीसीटीवी कैमरों को चैक किया गया, तो पाया कि घटना कारित करने वाले अभियुक्तो में से एक महिला भी है, जिनके द्वारा स्कूटी से उक्त घटना कारित की है तथा पुलिस के अथक प्रयास, मैनुअल इन्पुट, सीसीटीवी कैमरो की चेकिंग, सर्विलान्स की मदद से लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया । आज दिनांक 27.11.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्त 1.विवेक पाण्डेय पुत्र अनिल कुमार पाण्डेय निवासी स्कार्डी ग्रीन सोसायटी पांडवनगर थाना वेव सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम मठिया थाना गुसांईगंज जिला अयोध्या उम्र 29 वर्ष व 2.कीर्ति शर्मा पत्नी विवेक पाण्डेय निवासी उपरोक्त उम्र 28 वर्ष को मुखबिर की

सूचना पर चित्रावन सोसायटी के पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी टीवीएस जुपिटर रंग नीला नं0 UP14DW8464 व लूटी गयी चेन व अन्य लूट के 3200 रुपये बरामद हुए। अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया गया कि हम लोगों ने HDFC क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था, जिसकी किस्त समय से अदा नही हो पा रही थी। बैंक द्वारा पैसा वसूली के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। ऐसी स्थिति मे पैसे की आवश्यकता के कारण हमने दिनांक 15.11.2024 को अजनारा मार्किट क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास से एक महिला से उसकी सोने की चेन को छीन लिया था जो हमने बरामद करा दी है तथा करीब 01 माह पूर्व ग्लेरिया मार्किट क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास 01 महिला से भी सोने की चेन छीनी थी, जिसे हमने अपनी मजबूरी बताकर सस्ते दामो पर राह चलते व्यक्ति को बेच दी थी जो हमसे 3200/- रुपये बरामद हुए है ये उसी लूटी गयी चेन के रुपये है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

(1) विवेक पाण्डेय पुत्र अनिल कुमार पाण्डेय निवासी फ्लैट नं0 1716 टावर नं0 03 डी एन एच 24 थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष

(2) कीर्ति शर्मा पत्नी विवेक पाण्डेय निवासी 181 लोहार पुरा भाटिया मोड़ गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

(1) घटना मे प्रयुक्त 01 स्कूटी टीवीएस जुपिटर रंग नीला नं0 UP14DW8464

(2) अजनारा मार्किट के पास से लूटी गयी चेन पीली धातु मय लोकेट

(3) ग्लेरिया मार्किट के पास से लूटी गयी चेन को बेच कर खर्च से बचे शेष 3200/-

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर लूट से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा वाहन चोर 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 26.11.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा गौशाला के पास संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चैकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. शहजाद पुत्र मइनुद्दीन नि0- म0न0 डी 108 गली नं0- 8 बृजपुरी थाना दयालपुर दिल्ली 94 2. सुफियान पुत्र सलीम अहमद नि0- म0न0 सी 238 गली नं0- 15 ओल्ड मुस्तफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली 94 को गिरफ्तार किया गया, इनके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। उपरोक्त मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना गौकुलपुरी दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि साहब यह मो0सा0 हमने जोहरीपुर दिल्ली से चोरी की थी। इस मो0सा0 को हम फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चला रहे थे। चेकिंग में आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. शहजाद पुत्र मइनुद्दीन नि0- म0न0 डी 108 गली नं0- 8 बृजपुरी थाना दयालपुर दिल्ली 94, उम्र करीब 22 वर्ष
2. सुफियान पुत्र सलीम अहमद नि0- म0न0 सी 238 गली नं0- 15 ओल्ड मुस्तफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली 94, उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में थाना गौकुलपुरी दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी का वाहन बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के अभियोग का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.11.2024 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त नाहिद द्वारा शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाएं है। तहरीर के आधार पर तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 27.11.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नाहिद पुत्र मौ0 अनवर निवासी न्यू टंकी मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को चौकी कस्बा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब हम दोनों पडोस में रहते है तथा हमारी पिछले 03 वर्ष से जान-पहचान है। हम एक-दूसरे से बातचीत करने लगे थे फिर मेरे द्वारा शादी का झांसा देकर पीडिता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

नाहिद पुत्र मौ0 अनवर निवासी न्यू टंकी मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 25 लाख रुपए कीमत की 1.054 किलोग्राम अफीम सहित एक अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

दिनांक- 26/11/24 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा पलामू (झारखण्ड) से तस्करी कर लाई जा रही 1.054 किलोग्राम अफीम सहित 01 अन्तर्राज्यीय तस्कर बंद फाटक थाना लोनी बार्डर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। अफीम तस्कर से बरामद 1.054 किलोग्राम अफीम की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 25 लाख रूपये है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ पर अभियुक्त ज्ञान चन्द्र यादव ने बताया कि वह झारखण्ड के पलामू जिला का रहने वाला हैं और हाईस्कूल पास है तथा घर पर थोडी बहुत खेतीबाडी करता है तथा कभी कभी काम मिलने पर मजदूरी का भी काम करता है जिससे पूरे दिन काम के बाद सिर्फ 300-400 रू0 मिलते थे कभी काम होता था कभी नही होता था जिससे परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात गांव के ही रहने वाले पिन्टू यादव से हुई। पिन्टू यादव ने उसे बताया कि अफीम को झारखण्ड राज्य से दिल्ली एन0सी0आर0, हरियाणा व पंजाब में ले जाकर देने पर प्रति चक्कर रू0 20,000/- मिलेंगे इस पर ज्ञान चन्द्र यादव उपरोक्त तैयार हो गया और एक दो बार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ गाजियाबाद, दिल्ली एन0सी0आर0, पंजाब व हरियाणा आकर सप्लाई किया जिसमें प्रति चक्कर उसे रू0 20,000/- मिले तथा तस्करी करने से इकट्ठा हुए पैसो से ज्ञान चन्द्र उपरोक्त स्वयं अवैध अफीम की तस्करी झारखण्ड से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली एन0सी0आर0 मे जाकर करने लगा इस काम में उसको काफी फायदा होने लगा। अभियुक्त ज्ञान चन्द्र यादव ने बताया कि उसे अफीम की जितनी डिमाण्ड मिलती है उतना ही माल लेकर वह बस व ट्रेन बदल-बदल कर अलग-अलग रूट से आता हैं, जिस व्यक्ति को माल देना होता है उस व्यक्ति से बात करके ज्ञान चन्द्र यादव उपरोक्त डिलीवरी देने की जगह व समय पहले ही तय कर लेता हैं कि माल कहाँ, कब और कितने बजे देना है। जब ज्ञान चन्द्र यादव उपरोक्त माल लेकर चलता हैं तो किसी से सम्पर्क नही करता जब तक कि माल को तयशुदा जगह पर जिसको डिलीवरी देनी है उसे पंहुचा न दें। इस बार माल की डिलीवरी गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर देनी थी। पूछताछ पर यह भी बताया कि वह पिछले कुछ समय से दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में अफीम की माँग बढी है। यह काम वह पिछले 01 वर्ष से कर रहा हैं एवं कई बार माल पहुँचा चुका हैं मादक पदार्थो की तस्करी मे कम समय में ज्यादा फायदा होता है, जिससे ज्ञान चन्द्र यादव अपने शौक व घर के खर्चे पूरा करता हैं।

अभियुक्त से पूछताछ पर मादक पदार्थों के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की बिक्री व उनके सेवन पर रोक लगेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

ज्ञान चन्द्र यादव पुत्र मोहन यादव निवासी ग्राम शिकदा थाना मनातु जिला पलामू झारखण्ड उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

अफीम 1.054 किलोग्राम कीमत लगभग 25 लाख रूपये

गिरफ्तार अपराधी का आपराधिक इतिहास- अभियुक्त ज्ञान चन्द्र यादव के विरूद्ध गाजियाबाद में 01 अभियोग मादक पदार्थो की तस्करी के सम्बन्ध मे पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

क्राइम ब्रान्च पुलिस टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना लोनी बार्डर पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद ।

आज दिनांक 26/27.11.2024 की रात्रि को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल चोर अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम नेकपुर, आयशा मस्जिद के पास, थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को गंगनहर रेगुलेटर पाईप लाईन रोड की तरफ से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल स्पलेण्डर बरामद हुई । उपरोक्त चोरी की गई मोटरसाइकिल के संबंध में थाना मुरादनगर पर अभियोग पंजीकृत है । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि साहब यह मोटरसाइकिल मैंने कुछ महीनों पहले सरस्वती विहार मुरादनगर से मौका पाकर चोरी कर छिपा कर रख दी थी। आज मैं इस मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में निकला था कि आपने चैकिंग में पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

आशीष कुमार पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम नेकपुर, आयशा मस्जिद के पास, थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा 540 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.11.2024 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त आकाश पुत्र भजन लाल निवासी कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को 540 अवैध गांजा के साथ हापुड मोदीनगर रोड से 100 मीटर इसापुर फरीदनगर रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि साहब मैं गांजा की छोटी-2 पुडिया बनाकर आस -पास के जनपदो जैसे हापुड , मेरठ, गौ0बु0नगर में गरीब व मजदूर लोगो बेंच देता हूँ। आज मैं इस गांजे को जनपद हापुड में बेचने के लिये जा रहा था कि आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता

आकाश पुत्र भजन लाल निवासी कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण

540 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 26/27.11.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गैंगस्टर के अभियोग में वांछित अभियुक्त मशीर खान उर्फ रवि पुत्र मुकीश खान हाल पता बी 140 गली न0 3 राजीव नगर मन्डोली थाना हर्ष विहार दिल्ली 93 मूल निवासी गांव मानकपुर थाना उझानी जिला बदांयू, उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्त गैंगस्टर के अभियोग में दिनांक 18.11.2024 को अभियुक्त नवाब खाँ उर्फ नवाब खान उर्फ गुलशन पुत्र अब्दुल वहीद निवासी म0न0 126 हरमुखपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 47 वर्ष को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने अपने अन्य साथियों 1. मनोहर पुत्र राजकुमार निवासी अफजलपुर निस्तौली थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष व 2. नवाब खाँ उर्फ नवाब खान उर्फ गुलशन पुत्र अब्दुल वहीद निवासी म0न0 126 हरमुखपुरी थाना मोदीनगर गा0बाद उम्र करीब 47 वर्ष के साथ मिलकर एक गैंग बना रखा है । हम सभी लोग मिलकर फर्जी कागजात तैयार कर धोखाधडी जैसे अपराध कारित करते है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

मशीर खान उर्फ रवि पुत्र मुकीश खान हाल पता बी 140 गली न0 3 राजीव नगर मन्डोली थाना हर्ष विहार दिल्ली 93 मूल निवासी गाव मानकपुर थाना उझानी जिला बदांयू, उम्र करीब 38 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त मशीर खान उर्फ रवि उपरोक्त पर थाना मोदीनगर पर 01 व थाना टीला मोड पर 01 आपराधिक मामला दर्ज है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना मोदीनगर पुलिस टीम ।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा 09 वर्षीय बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

दिनांक 22.11.2024 को थाना अंकुर विहार पर श्री हफिशाह पुत्र हबिबशाह निवासी बलरामनगर विजय विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद ने सूचना दी कि उनकी पुत्री उम्र करीब 09 वर्ष पिछले 15 दिनों से घर से लापता है, जो काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिली है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना अंकुर विहार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बच्ची की सकुशल बरामदगी हेतु थाना स्तर से 07 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस के द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरों व अन्य जानकारी करते हुए बच्ची को संस्कार आश्रम कोम्पलेक्स, दिलशाद गार्डन, दिल्ली से सकुशल 05 दिवस के अंदर बरामद किया गया तथा बच्ची को परिजनों के सुपुर्द किया गया।

बरामद करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग मे वांछित/मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत हत्या के अभियोग मे मुख्य आरोपी गुड्डू उर्फ सूरज को पुलिस टीम द्वारा चौकी क्षेत्र सिविल लाइन से मुखबिर सूचना के आधार पर दिनांक 27.11.24 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त घटना के पश्चात से लगातार फरार चल रहा था तथा हत्या की घटना मे मुख्य आरोपी था।

कार्यवाही का विवरण:-

थाना कोतवाली पर पंजीकृत हत्या के अभियोग मे अभियुक्त अनिल यादव उर्फ लम्बू तथा नईम को पूर्व मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है घटना मे सहअभियुक्त गुड्डू लगातार फरार चल रहा था। जिसकी तलाश की जा रही थी। दिनांक 26.11.24 को उक्त फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन कर तलाश करायी जा रही थी जिसको आज दिनांक 27.11.24 को थाना कोतवाली नगर के चौकी क्षेत्र सिविल लाईन से गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ अभियुक्त

पूछताछ पर अभियुक्त गुड्डू द्वारा अभियोग उपरोक्त मे लाल सिह की अपने सह अभियुक्त अनिल यादव उर्फ लम्बू और नईम के साथ मिलकर हत्या कर शव को रेलवे पटरी पर फेक देने की बात स्वीकार की है तथा मृतक लाल सिह की पत्नि प्रिंयका को भी उडीसा से ट्रैन से बुलवाकर शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन से अपने सह अभियुक्त अनिल यादव उर्फ लम्बू से हजारा खडीत नहर पुल के पास थाना क्षेत्र एका जनपद फिरोजाबाद मे गला दबाकर हत्या करवाकर शव को नहर मे फेक देने की बात स्वीकार की गयी। पूर्व मे अभियुक्त अनिल यादव उर्फ लम्बू का 48 घंटा पुलिस हिरासत रिमांड लिया गया तथा बताये गये घटनास्थल पर ले जाकर शव की तलाश करायी जा चुकी है अभी तक अपहृता प्रियंका का शव बरामद नही हो सका है।

नाम पता अभियुक्त

गुड्डू उर्फ सूरज पुत्र श्री रुदल यादव निवासी ग्राम पीपरपाती थाना पसराहा जिला खगड़िया बिहार हाल पता समरविला स्कूल के पास ग्राम चौडा सादातपुर सै 35-नोएडा जनपद गौतमबुधनगर उम्र 24 नोएडा थाना सैक्टर 22 0वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुड्डू उर्फ सूरज

कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 01 अभियोग हत्या।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अपहरण व एससी/एसटी एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 27.11.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अपहरण व एससी/एसटी के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त 1. भरतवीर पुत्र पूरन सिंह निवासी संतपुरा मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद व 2. सुमित सुनार पुत्र विजय सोनी निवासी सी लाईन महेन्द्रपुरी मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 11.10.2024 की रात्रि में हम दोनों वैगनार गाड़ी से आ रहे थे तभी रैपिड रेल स्टेशन साउथ के पास हम दोनों ने कुछ समय के लिये गाड़ी साइड में लगायी थी, उसी दौरान वहां बाइक से दो लड़के आये ओर कार के आगे खडी ई- रिक्शा के पास उनका संतुलन खराब हो गया था। वो लडके हमसे सड़क के किनारे कार खडी करने को लेकर बोलने लगे जिस पर हमारी कुछ कहासुनी हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता-

1. भरतवीर पुत्र पूरन सिंह निवासी संतपुरा थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 50 वर्ष।
2. सुमित सुनार पुत्र विजय सोनी निवासी सी लाईन महेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त भरतवीर उपरोक्त पर थाना मोदीनगर पर 01 आपराधिक मामला तथा अभियुक्त सुमित सुनार उपरोक्त पर थाना मोदीनगर पर 01 आपराधिक मामला दर्ज है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।